न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	मुकदमा सं. 152/2002 छगनलाल जाे महावीर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज GOMS – 2002/00002	नंबर व तारीख जो इस ... तामील में
24/10/25	वास्ते आदेश मिसल आज पेश हुई। वकुलाय उभ0। विभाजन प्रस्ताव /आपति विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकुलाय उभयपक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस वकील वादी ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर करते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार नीमकाथाना ने मौके पर जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण की मौजूदगी में विवादित भूमि का अच्छे से अच्छा व बुरे से बुरा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया हैं। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री फरमाने की कृपा करें। वकील वादीगण की बहस के प्रत्युत्तर में वकील प्रतिपक्ष ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति जाहिर करते हुए निवेदन किया कि बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व सुनवाई हेतु तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पक्षकारगण को कोई नोटिस मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने की दिनांक व समय बाबत नही दिया गया एव ना ही मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया हैं। जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया हैं उसमें सभी खातेदारान के हिस्से के अनुसार एवं कब्जे के अनुसार विभाजन किया जाकर प्रत्येक खातेदार के हिस्से की अलग–अलग बटा नम्बर दर्ज करते हुए उसी अनुसार मौके का नक्शा तैयार कर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए था किन्तु प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में न्यायालय की प्राथमिक डिक्री, निर्णय व कानून की कोई पालना नही की गयी हैं। जबकि सभी खातेदारान को विभाजन का लाभ प्राप्त होना चाहिए। अतः आपत्ति स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा भेजा गया विभाजन प्रस्ताव निरस्त कर पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के आदेश के साथ पुनः प्रेषित करने का आदेश फरमाने की कृपा करें। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव एवं आपत्ति [illegible] का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय उभयपक्ष प[illegible] मनन किया गया। चूंकि वकील प्रतिवा[illegible] में कोई स्पष्ट अंकन नही किया जिस[illegible] दुबारा से मंगवाया जाना आवश्यक हो। अतः उपरोक्त [illegible] के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो	

Signature Not Ver
Digitally signed by Raj
Yadav
Date: 2025.10.28 12:47
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	मुकदमा सं. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 24.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:47:10 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम नीमकाथाना **(सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. छगनलाल पुत्र श्री रामधन जाति ब्राह्मण निवासी चला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–वादी

बनाम

1. म्हावीर पुत्र रामेश्वर वगैरह

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं. 152 सन् 2002

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री मनीराम जाखड़ एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री सुशील कुमार, श्री उमेश खण्डेलवाल एडवोकेट मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **वाद वादी मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

.निज.....................मुबलिग...बाबत...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 24 माह 10 सन् 2025** को जारी की गई।

दस्तखत.............
ओहदा.............
(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:47:10 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।